



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज०

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर० ए० एस०

मु०स० 36/2011 राजस्व वाद

1. हरगोविन्द
2. मुरारीलाल
3. सुभाष चन्द पुत्रगण स्व० केशवदेव कौम वैश्य नि० ग्राम गिरसै तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89,
188 आर० टी० एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक ०१.१०.११

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-89, 188 के तहत इस आशय को पेश किया है कि हाल आराजी ख० न० 159/0.19, 160/0.13 जो पुराने ख० न० 7 मि० से बनाया गया है। मिलान क्षेत्रफल सबूत मय पेश है। जो $4\frac{1}{2}$ बीघा के करीब होता है। जो वादीगण के पिता केशवदेव को निःशुल्क विनिमय हुआ था। वादीगण का पिता भूमिहीन था लेकिन बन्दोबस्त में उक्त आराजी नं० को गत नं० 5 के वजाय 7 से बनाया हुआ दिखाया है। वादीगण के पिता का कब्जा भी उक्त हाल नम्बरों पर ही रहा था। वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 06.06.1990 को हो गई थी। इस आराजी पर वादीगण के पिता केशवदेव का करीब 50 वर्षों से कब्जा है। मृत्यु के बाद से उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। परन्तु तहसीलदार डीग ने वादीगण के पिता स्व० केशवदेव को राजस्व रिकॉर्ड घना गिरसै में खातेदार दर्ज नहीं किया। हाल विवादित आराजी पर खिलाफ कानून मकबूजा सरकार दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग पत्र सं० 65 जयपुर दिनांक 01.10.1965

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

जिलाधीश भरतपुर प्रति जिलाधीश महोदय भरतपुर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.1965 ग्रामवासी प्रतिमाननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर व प्रति० जिलाधीश भरतपुर स० एफ 15(648)राज० (ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 व प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कार्यालय जिलाधीश भरतपुर पत्र संख्या राजस्व 19194 दिनांक 12.12.1975 पेश है। ग्राम गिरसै तहसील डीग को सरकारी भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य का नियमन प्रसंग—इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 5283—5408 दिनांक 22.07.1972 तथा 5527—5582 दिनांक 25.07.1972 आपका पत्र क्रमांक 70 दिनांक 15.11.1975 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जिलाधीश भरतपुर क्रमांक 10 (25 राज०) जयपुर दिनांक 16.02.1981 प्रतिलिपि पत्र क्रमांक पं० 6 (25) राज० ग्रुप-4/ -80 जयपुर दिनांक 16.12.1981 की ओर से उप शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-4) विभाग निमित्त जिलाधीश भरतपुर सन्दर्भ आपका पत्र क्रमांक 1857—1858 दिनांक 23.04.1980 कार्यालय श्रीमान जिलाधीश भरतपुर के लिए सूचनार्थ आवश्यक कार्यावाही हेतु क्रमांक राजस्व 12/12/ 1679/795—96 दिनांक 07.03.1981 (1) उपजिलाधीश डीग (2)तहसीलदार डीग पेश की है फिर भी तहसीलदार डीग ने राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश भरतपुर को व तहसीलदार डीग को घना गिरसै की भूमि पर अतिक्रमी वादीगण के पिता रतीराम ग्राम गिरसै को शुल्क लेकर विनियमन किया गया था। वादीगण के कब्जे काशत खातेदारी की आराजी पर उक्त गलत इन्दाज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर देना चाहते हैं जबकि जिलाधीश भरतपुर का व तहसीलदार डीग का ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार ने नियमन के बाद नहीं दिया है। परन्तु वादीगण को विनियमित के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से वंचित कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा रखकर गलत घोषित कर रखा है जबकि वादी का आराजी पर दिनांक 01.07.1975 से पूर्व में भी अपनी आराजी पर कब्जा काशत चला आ रहा है। वादीगण नियमन से पूर्व से ही आराजी मुत० पर कब्जा काशत करता चला आ रहा है वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित फरमाया जावे। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादी को हाल आराजी घना गिरसै के ख०न० 159/0.19, 160/0.13 है० बाकै ग्राम घना गिरसै तहसील डीग पर खातेदार काशतकार घोषित फरमाया जावे।

उप-खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.



वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रति० की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित अदालत आये। पैरोकार सरकार ने अपना जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख०न० 159/0.19, 160/0.13 है० बाकै ग्राम घना गिरसै जो राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा सरकार के खाते में दर्ज है जो साबिक ख०न० 7 मि० से निर्मित हुआ है तथा सरकारी भूमि है। उक्त आराजी कभी भी वादीगण एवं इसके पूर्वजो को कभी भी आवंटित/नियमन नहीं हुई है। वादी का आराजी मुत० पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण का कथन निराधर व रिकॉर्ड से विपरीत होने के कारण सरकारी भूमि को हडपने का षडयन्त्र है। दावा वादीगण खारिज योग्य है। वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है वादीगण का आराजी मुत० पर कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादीगण को कभी भी आराजी मुत० का नियमन नहीं हुआ है। आराजी मुत० सरकारी भूमि है जो कि वादीगण व इसके पूर्वजो को कभी भी आवंटित/नियमन नहीं वादीगण का आराजी मुत० पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है दावा वादीगण निराधार होने से खारिज योग्य है अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के दावा व प्रति० के जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :-

तनकी सं० 1.—आया वादीगण विवादित आराजीयात पर स्वयं को खातेदार काशतकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 2.— आया वादीगण साढ़े चार बीघा आराजी घना गिरसै में कीमत/निःशुल्क से विनियमन हुआ है।

तनकी सं० 3.— आया वादीगण के गांव गिरसै के काशतकारों के नाम घना गिरसै में से विनियमन की डिक्री/उद्घोषणा न्यायालय हाजा द्वारा की गई।

तनकी सं० 4.— आया वादीगण का कब्जा काशत विनियमन से पूर्व से ही चला आ रहा है।

तनकी सं० 5.—आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.




तनकी सं० 6.—आया वादीगण घना गिरसै की आराजी की उद्घोषणा हेतु राज्य सरकार से आदेश प्राप्त हुए थे तथा 54 काश्तकारों को दिनांक 02.06.1989 को घना गिरसै की आराजी का नियमित काश्तकार घोषित किए जा चुके हैं।

तनकी सं० 7.— दादरसी

वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बहस की/वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

तनकी सं० 1 लगायत 4— इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में नकल जमाबन्दी सं० 2067-2070 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख०न० 159/0.19, 160/0.13 है० कॉलम सं० 4 में मकबूजा सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा कायम सं० 4 में भी मकबूजा सरकार दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सं० 2040 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक आराजी ख०न० 7 मि० से हाल आराजी ख०न० 159/0.19, 160/0.13 है० बनना प्रकट है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा की गिरदावरी भी आराजी खाता नं० 1 की बावत है जिसके कालम सं० 4 में मकबूजा सरकार के नाम का अंकन है। उक्त रिकॉर्ड के अलावा वादीगण ने फोटो प्रतियाँ जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्राचार/पत्र व्यवहार की पेश कि है उनके वादीगण पर उनके पूर्वजो के द्वारा में किसी प्रकार के कोई अंकन नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में वादीगण या उनके पूर्वजो के नाम के कोई अंकन नहीं है बल्कि तहसीलदार/पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे में अंकित कथन आराजी मुतनामा सरकारी भूमि है जो कि वादीगण व इनके पूर्वजो को कभी आवंटित/नियमन नहीं हुई है वादीगण का आराजी मुतनाजा पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा वादीगण निराधार होने से दावा खारिज योग्य है। उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद के कथन को पुष्ट करने में असफल रहें हैं। इसलिए इन तनकीयातों का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता है।


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.



तनकी सं० 5.—तनकी सं० 1 लगायत 4 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। वादीगण विवादित आराजी की बावत प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरुद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी सं० 6.—इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है जिसे किसी विश्वनीय दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में वादीगण असफल रहे हैं। अतः इसी आधार पर यह तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी — तनकी सं० 1 लगायत 6 का निर्णय विरुद्ध वादीगण हुआ है। इसलिए वादीगण का दावा काबिले खारिजी के है।

अतः आदेश है कि —

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है।
मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक ७-४-०५-१६..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)



डिगरी व मुकदमे इवतदाई

(ओ. 20 रु 6-7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज 0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर 0 ए 0 एस 0

1. हरगोविन्द 2. मुरारीलाल 3. सुभाष चन्द पुत्रगण स्व 0 केशवदेव कौम वैश्य नि 0 गिरसै तह 0 डीग

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89, 188 आर 0 टी 0 एक्ट 1955

मुकदमा नं 0 36/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज मुवलिंग.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर..... को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 08 माह 01 सन् 18 को जारी की गई।

उप-खण्ड अधिकारी
दस्तखत..... डीग (भरतपुर) राज.
ओहदा.....

मुहर



मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	2				
मीजान			मीजान		